

Speed post /त्रिव डाक

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Violation letter/उल्लंघन पत्र**

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: 2471/MCDR-MiFLOMn/1/2022-AJM-IBM_RO_AJM दिनांक: /01/2025

प्रेषित: खान एजेंट,

कालाखूटा मैग्निज खान,

M/s Assian Mining Associated,

गाँव: कालाखूटा, तहसील: कुशलगढ़ जिला: बांसवाड़ा ,

(e-mail: nathaniakshay333@gmail.com, [mpl1@yahoo.in](mailto:mmpl1@yahoo.in) , amamnore@gmail.com)

विषय: राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में स्थित आपकी कालाखूटा मैग्निज खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 11/12/2024 by undersign in presence of Sri Akshay Nathani, Mine Manager and Mining Engineer of your mine:

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to Review of Mining Plan approved on 19/04/2021 to the extent given below for the year 2023-24:</p> <p>(1) Waste/reject of 5612.97 CuM was generated against the target of 18875.00 CuM.</p> <p>(2) Stripping ratio of 1:3.16 CuM/CuM was achieved against the target of 1:0.2.33 CuM/CuM.</p> <p>(3) ROM of 20122.66 tons was achieved against the target of 73612.00 tons.</p> <p>(4) Garland drain of 80.0 meter was constructed against the target of 150 meter.</p> <p>(5) Backfilling was carried out over and area of 0.0332 hectare against the target of 0.08 hectare.</p> <p>(6) Plantation was carried out over and area of 0.09 hectare against the target of 0.15 hectare.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, बांसवाड़ा।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर